भंवरसिंह बनाम चैनसिंह मु.नं. 121/19

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30/10/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 121/2019

1 भंवर सिंह
2 दीप सिंह
3 बजरंग सिंह
4 पेप सिंह पुत्रगण मंगेज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 चैन सिंह पुत्र गाड सिंह फौत
1/1 भंवर सिंह पुत्र चैन सिंह
1/2 हणमान सिंह पुत्र चैन सिंह
1/3 मूलसिंह पुत्र चैन सिंह
1/4 भगवान सिंह पुत्र चैन सिंह
1/5 झाबर सिंह पुत्र चैन सिंह
1/6 मोहन कंवर पुत्री चैन सिंह
1/7 रामसिंह पुत्र तेजसिंह
1/8 दलीप सिंह पुत्र तेजसिंह
1/9 राधा कंवर पुत्री तेजसिंह
1/10 जीतु कंवर पुत्र तेजसिंह
2 केशर सिंह पुत्र गाड सिंह फौत
2/1 उच्छव कंवर पत्नी केशर सिंह
2/2 ओम कंवर पुत्री केशर सिंह
2/3 संतोष कंवर पुत्री केशर सिंह
2/4 रसाल कंवर पुत्री केशर सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
3 सायर कंवर पत्नी भूर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर।
4 पेप सिंह
5 ग्यान सिंह
6 गोपाल सिंह
7 दीप सिंह
8 श्रवण सिंह समस्त पुत्रगण गाड सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गणेशपरा तहसील धोद जिला सीकर।
9 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा सिंगरावट तहसील धोद जिला सीकर जरिये शाखा प्रबन्धक
10 भूमिधारी तहसीलदार धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर
द्वितीय सीकर प्रकरण भंवर सिंह वगै. बनाम चैन
सिंह वगै. टी.आई. संख्या 26/2009 निर्णय
दिनांक 14.11.2019

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राधेश्याम बियाला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 30.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 26/2009 में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 प्रस्तुत कर ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद की भूमि खसरा नम्बर 44, 46, 49, 58 व 215 के संदर्भ में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलान्ट ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम सं. 1 सीकर द्वारा सिविल वाद संख्या 84/66 श्रीमती हरकंवर बनाम चैन सिंह निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2000 प्रस्तुत कर यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सजरा खानदान के मुताबिक चैन सिंह जायन्दा पुत्र गाड सिंह द्वारा जो अपने आपको स्व. शार्दुल सिंह के गोद जाने का कथन किया था तथा न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम –1 सीकर द्वारा अपने उक्त निर्णय द्वारा चैन सिंह की माता श्रीमती हर कंवर द्वारा अपने पुत्र के पक्ष में हुये गोदनामा दिनांक 04.05.1970 को निरस्त करवा दिया गया था जिसका प्रभाव यह हुआ कि चैन सिंह अपने जायन्दा पिता गाड सिंह का ही पुत्र रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 स्व. गाड सिंह के वारिस हुये तथा गाड सिंह की समस्त प्रश्नगत सम्पति प्रश्नगत भूमियों के सभी प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 खातेदार हो गये। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदीयों एंव पीढीनामा से स्पष्ट है कि माधोसिंह के चार पुत्र हुये जिनमें धुकल सिंह व शार्दुल सिंह नाऔलाद फौत होने पर उनका वारिस अकेला मंगेज सिह हुआ व गाड सिंह जो भीखसिंह उर्फ भींवसिंह के गोद चले जाने के कारण रेस्पोडेन्ट का पिता भींखसिंह उर्फ भींवसिंह की भूमियों पर काबिज काश्त चले आ रहे है। विधि का यह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सुस्थापित सिद्धान्त है तथा कानूनी स्थिति भी स्पष्ट है कि यदि पक्षकारों के मध्य भूमियों को लेकर विवादि चल रहा है तो वाद बाहुल्यता रोकने तथा भूमियों के अन्यत्र बेचान आदि रोकने हेतु पक्षकारान को प्रतिबन्धित न्याय हित में आवश्यक है। विचारण न्यायालय में प्रार्थी ने विधि द्वारा पारित तीनों सिद्धान्त अपने पक्ष में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित कर दिया था तथा गाड सिंह भीखसिंह उर्फ भींवसिंह के गोद जाना साबित कर दिया था तथा चैन सिंह के शार्दुल सिंह के गोद जाने का जो गोदनामा तहरीर तकमील हुआ था उसे न्यायालय अपर जिला जज क्रम 1 सीकर द्वारा निरस्त फरमा दिया गया था इस कारण शार्दुल सिंह की जो भूमियां थी वे नाऔलाद फौत होने के कारण अपने भाई मंगेज सिह जो कि अपीलान्ट का पिता था वह एकमात्र वारिस हुआ विचारण न्यायालय ने इस ओर ध्यान न देकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2063 से 66 में खसरा नम्बर 44, 46, 49, 58 व 215 किता 5 कुल रकबा 14.99 है. ग्राम गणेशपुरा की खातेदारी चैनसिंह, भूरसिंह, केशरसिंह, पेपसिंह, ग्यानसिंह, गोपालसिंह, दीपसिंह, श्रवणसिंह पिता गाड़सिंह कौम राजपूत सा.देह हि. बराबर के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2021 से 24 में इनके पुराने खसरा नम्बर 28 व 31 की खातेदारी गाडसिंह पुत्र भींवसिंह कौम राजपूत सा.देह के नाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 का पिता गाड़ सिंह, भीखसिंह के गोद चला गया तथा भीखसिंह की उपर्युक्त वर्णित आराजीयात गाड़ सिंह को जरिये विरासत प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण का कथन है कि पुराने खसरा नम्बर 27 व 108 में 1/2 हिस्से की खातेदारी गलतरूप से अप्रार्थीगण के पिता गाड़सिंह ने अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि गाड़सिंह के गोद चले जाने के कारण अपने जायन्दा पिता माधोसिंह की भूमियों में ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं था। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

2021–24 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 27 व 108 की खातेदारी गाड़सिंह, शार्दुलसिंह पिता माधोसिंह कौम राजपूत सा.देह ब.हि. बराबर के नाम पर दर्ज है लेकिन पत्रावली में इससे पूर्व की जमाबंदी संलग्न नहीं है। इससे यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित नहीं है कि उक्त खसरा नम्बर की 1/2 हिस्से की खातेदारी गाड़सिंह को जरिये विरासत प्राप्त हुई है और यदि जरिये विरासत प्राप्त हुई है तो उक्त विरासत का नामान्तकरण गाड़सिंह के गोद चले जाने के बाद का है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2063 से 66 में खसरा नम्बर 44, 46, 49, 58 व 215 किता 5 कुल रकबा 14.99 है. ग्राम गणेशपुरा की खातेदारी चैनसिंह, भूरसिंह, केशरसिंह, पेपसिंह, ग्यानसिंह, गोपालसिंह, दीपसिंह, श्रवणसिंह पिता गाड़सिंह कौम राजपूत सा.देह हि. बराबर के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत 2021 से 24 में इनके पुराने खसरा नम्बर 28 व 31 की खातेदारी गाडसिंह पुत्र भींवसिंह कौम राजपूत सा.देह के नाम पर दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 का पिता गाड़ सिंह, भीखसिंह के गोद चला गया तथा भीखसिंह की उपर्युक्त वर्णित आराजीयात गाड़ सिंह को जरिये विरासत प्राप्त हो चुकी है। प्रार्थीगण का कथन है कि पुराने खसरा नम्बर 27 व 108 में 1/2 हिस्से की खातेदारी गलतरू॰ से अप्रार्थीगण के पिता गाड़सिंह ने अपने नाम दर्ज करवा ली। जबकि गाड़सिंह के गोद चले जाने के कारण अपने जायन्दा पिता माधोसिंह की भूमियों में ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं था। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2021–24 के अनुसार पुराने खसरा नम्बर 27 व 108 की खातेदारी गाड़सिंह,

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

शार्दुलसिंह पिता माधोसिंह कौम राजपूत सा.देह ब.हि. बराबर के नाम पर दर्ज है लेकिन पत्रावली में इससे पूर्व की जमाबंदी संलग्न नहीं है। इससे यह निर्विवाद रूप से प्रमाणित नहीं है कि उक्त खसरा नम्बर की 1/2 हिस्से की खातेदारी गाड़सिंह को जरिये विरासत प्राप्त हुई है और यदि जरिये विरासत प्राप्त हुई है तो उक्त विरासत का नामान्तकरण गाड़सिंह के गोद चले जाने के बाद का है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
सीकर